दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करने में केंद्र सरकार करे सहयोग, जांच कमिटी को दे मंजूरी : सिसोदिया

- बिना किसी जांच के ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा बताना मुश्किल : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
- बिना किसी जांच के ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को झुठलाना पीड़ितों के साथ होगा क्रूर मज़ाक- मनीष सिसोदिया

ध्रमेन्द्र सिंह लोधी.ओपन सर्च

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई या नहीं हुई, बिना कोई जांच करवाए इसकी पुष्टि करने मुश्किल होगा। इस बाबत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा और अपील करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुए मौतों की जांच करना चाहती है इसके लिए दिल्ली सरकार ने हेल्थ-एक्सपर्ट्स की उच्च स्तरीय जांच कमिटी भी बनाई थी जिसे एलजी द्वारा खारिज़ कर दिया गया।

यदि केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के सही आंकड़े सामने आए तो दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमिटी को मंजूरी दी जाए। उपमुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई ये मानना गलत होगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी जांच के ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा बताना मुश्किल होगा।

हमें ये मानना होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई है। दिल्ली में कोरोना से अबतक लगभग 25 हज़ार लोगों की मौतें हुई है लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी से कितने मौतें हुई इसकी जानकारी नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केंद्र सरकार बेहद गैर-जिम्मेदार और असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए ये मानने से मना कर दिया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई है। लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद अब राज्यों से आंकड़े मांग रही है।

वही दूसरी ओर जब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करने के लिए हेल्थ-एक्सपर्ट्स की उच्च स्तरीय जांच कमिटी बनाई जो ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करती और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपयों का मुआवजा देने का काम करती तो केंद्र सरकार ने एलजी के हस्तक्षेप द्वारा उस कमिटी को खारिज करवा दिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था।

दिल्ली से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करवाने के लिए तैयार है। और पूरी जिम्मेदारी से ये जांच करवाएगी। इसलिए उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि पिछली बार की तरह इस बार एलजी द्वारा जांच कमिटी को खारिज़ न करे बल्कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच करने में दिल्ली सरकार का सहयोग करे।

चांदनी चौक की सफाई निजी कंपनी के हवाले

नई दिल्ली (एजेंसी) चांदनी चौक की सफाई व्यवस्था निजी कंपनी के हवाले हो गई है। निजी कंपनी की ओर से चांदनी चौक के मुख्य मार्ग को साफ-सुथरा रखने के लिए 40 सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। पहले मुख्य मार्ग के साथ ही कूचों, कटरों व अन्य सड़कों की सफाई व्यवस्था उत्तरी निगम के हाथ में थी, लेकिन शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी) ने मुख्य मार्ग की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इसे निजी कंपनी को सौंपने का फैसला लिया था। इसके तहत निविदा मंगाई गई और एक कंपनी को यह कार्य सौंप दिया गया। कंपनी ने सोमवार से यह जिम्मा संभाल भी लिया है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक निजी कंपनी का का मुख्य मार्ग व फुटपाथ के साथ ही शौचालयों को साफ रखना है।

दिल्ली में पहली बार होगा स्किल कम्पटीशन का आयोजन

पंकज तिवारी

नई दिल्ली। 2022 में शंघाई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल्स कम्पटीशन जिसे ओलंपिक ऑफ़ स्किल्स के रूप में भी जाना जाता है की तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए इस साल देश में स्टेट और नेशनल लेवल पर इंडिया स्किल कम्पटीशन का आयोजन किया जाएगा।

इन प्रतियोगिताओं में 20 से अधिक राज्य भाग लेंगे और विजेता टीम शंघाई में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पहली बार स्टेट लेवल स्किल्स कम्पटीशन का आयोजन किया जाएगा और दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) इसका आयोजन करेगी। उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, आज के दौर में एक ओर जहां 21st सेंचुरी स्किल्स का बोलबाला है, वहीं दूसरी ओर ट्रेडिशनल स्किल सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी की भारी मांग है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के हुनरमंद विद्यार्थी शंघाई में होने वाले स्किल ओलंपिक में हिस्सा लेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे युवाओं के स्किल्स को और बेहतर करने के लिए दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) कुछ छात्रों को स्किल्स ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग देगा। उन्होंने कहा कि, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि यह पहली बार होगा जब दिल्ली में स्किल कम्पटीशन होगा और दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इसका आयोजन करेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, इस बाबत दिल्ली में स्टेट लेवल स्किल्स कॉम्पटिशन्स का आयोजन किया जाएगा और फिर चयनित प्रतिभागी नेशनल लेवल स्किल्स कॉम्पटिशन्स में भाग लेंगे जिसके बाद विजेता छात्र शंघाई जाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्किल्स ओलंपिक के लिए चुने जाने वाले बच्चों को दिल्ली स्किल एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि , दिल्ली सरकार का ध्यान छात्रों को सही कौशल से लैस करने और ऐसा यूथ फ़ोर्स तैयार करना है जो जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। साथ ही दूसरों को अपस्किलिंग में मदद करेंगे। दिल्ली स्किल्स एंड एंत्रप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी यह सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाएगी कि दिल्ली और पूरे देश में छात्रों के पास इन स्किल्स को सीखने, आगे बढ़ने के लिए मंच मिल सके। डीएसईयू प्लंबिंग और हीटिंग से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग और मेक्ट्रोनिक्स जैसे 33 स्किल्स में युवाओं को तैयार करेगी। अबतक दिल्ली में स्टेट लेवल कम्पटीशन के लिए 5000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के युवाओं में इस स्किल कम्पटीशन के प्रति उत्साह को देखते हुए दो स्तरीय चयन प्रक्रिया को अपनाया गया है। पहले स्तर पर उम्मीदवार के बेसिक स्किल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा।

कैंट एवं मयूर विहार दुष्कर्म मामले में गृह मंत्रालय ने पुलिस को दिया निर्देश, 30 दिन के अंदर दाखिल होगा आरोप पत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)

दिल्ली कैंट के नांगल इलाके में छोटी बच्ची से दुष्कर्म मामले में अब गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। गृहमंत्रालय ने गुरुवार को इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ इस पूरे मामले के साथ मयूर विहार में एक अन्य बच्ची के दुष्कर्म मामले को लेकर समीक्षा की। पुलिस अब केस दर्ज होने के 30 दिनों के अंदर अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जिससे इन मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई शुरू हो सके। दोनों की मामलो की दिल्ली की फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में सुनवाई होगी। इधर, दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र में दुष्कर्म व हत्या मामले में बच्ची के शव के बचे हुए अवशेष का पुराना नांगलराया स्थित श्मशान भूमि पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के समय बच्ची के माता-पिता व उनके नजदीकी रिश्तेदार मौजूद थे। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि डीडीयू अस्पताल की मोर्चरी में रखा अवशेष पीड़ित पक्ष को सौंप दिया गया। जब अवशेष का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब श्मशान भूमि के बाहर करीब 20 लोगों ने वहां विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये लोग श्मशान भूमि परिसर में प्रवेश करना चाह रहे थे, लेकिन पीड़ित पक्ष ने इसके लिए उन्हें सहमति नहीं दी। इसके बाद पुलिसकर्मियों को वहां से हटने के लिए कहा। अंत्येष्टि के बाद पुलिसकर्मियों ने बच्ची के माता- पिता को उनके घर पहुंचाया। बता दें कि दिल्ली कैंट निवासी नौ साल की बच्ची के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अब क्राइम ब्रांच जांच कर रही है।

क्राइम ब्रांच हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। वहीं, फोरेंसिक टीम नमूने एकत्र कर रही है। इसके साथ ही नमूनों को जांच के लिए जल्द ही गुजरात के गांधी नगर स्थित देश की सबसे बेहतर लैब में भेजा जाएगा। क्या है मामले में ताजा अपडेटः बुधवार को क्राइम ब्रांच ने श्मशान भूमि परिसर की ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई। दो दिन पहले बच्ची के माता-पिता के भी बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सूत्रों की मानें तो बयान में स्वजन ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने बताया कि आरोपितों ने बच्ची के जल्द दाह संस्कार कर देने का दबाव बनाया, जिससे उन्होंने ऐसा किया।

इस मामले में गिरफ्तार श्मशान भूमि के मुख्य पुजारी राधे श्याम सहित सलीम, कुलदीप और लक्ष्मी नारायण की मंगलवार को सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल करवाकर यह पता करने की कोशिश की गई कि उनके शरीर पर कहीं ताजे चोट के निशान तो नहीं हैं? रिपोर्ट में चोट के निशान नहीं पाए गए। करंट लगने की भी हो रही जांचः मनोविज्ञानी व फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम चारों से लगातार पूछताछ कर रही है।

क्राइम ब्रांच की टीम पूरे घटनाक्रम को समझने और सच्चाई को सामने लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। क्राइम ब्रांच आरोपितों से अलग-अलग भी पूछताछ कर रही है। श्मशान गृह परिसर में जिस वाटर कूलर से बच्ची को करंट लगने का दावा किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच उस वाटर कूलर की भी जांच करा रही है, ताकि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई या नहीं इसका पता लगाया जा सके।

दिल्ली में टिल्लू गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी) करावला गांव में बीते महीने गैंगवार के दौरान नितेश नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कंझावला थाना पुलिस ने सुनिल उर्फ टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान हरियाणा के सोनीपत के शास्त्री पार्क निवासी अक्षय व पोस्ट आफिस पार्क निवासी सूरज उर्फ गोलू के रूप में हुई है। आरोपितों के पास से पिस्टल, दो कारतूस, मोबाइल व बाइक बरामद की गई है।

बदमाशों ने युवक की इसलिए हत्या की थी क्योंकि नितेश के बड़े भाई प्रवेश ने पिछले वर्ष साथियों के साथ मिलकर टिल्लू गैंग के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस फरार तीन आरोपितों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त प्रणव तायल के अनुसार, 31 जुलाई को सुबह साढ़े दस बजे करावला के आनंदपुर धाम में गैंगवार के दौरान नितेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

आप पार्टी और व्यापारियों के विरोध से डर कर भाजपा ने टैक्स बढ़ाने का फ़ैसला वापिस लिया, ये दिल्ली के व्यापारियों की जीत : आतिशी

विकास.ओपन सर्च

नई दिल्ली। आप' विधायक आतिशी ने कहा कि आप पार्टी और व्यापारियों के विरोध से डर कर भाजपा ने टैक्स बढ़ाने का फ़ैसला वापिस लिया, ये दिल्ली के व्यापारियों की जीत है।

आम आदमी पार्टी ने ट्रेड व फ़ैक्टरी लाइसेन्स फीस बढ़ाने के खिलाफ सिगनेचर कैम्पेन चलाया था। सिगनेचर कैम्पेन में 5 लाख से अधिक व्यापारियों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि नॉर्थ एमसीडी की तरह साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी भी इस फैसले को वापस ले। आम आदमी पार्टी यह भी मांग करती है कि जो दुकानदार और व्यापारी बढ़ी हुई फीस जमा कर चुके हैं उनको वह पैसा वापस हो। दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों को प्राइवेट ठेकेदारों को देने का फैसला भी भाजपा ने वापस ले लिया है। दिल्ली की जनता, व्यापारियों, रेहड़ी पटरी वालों की ओर से आम आदमी पार्टी का विरोध सफल। दिल्लीवालों को इसकी बधाई। अब भाजपा की भ्रष्ट एमसीडी का जो भी गलत फैसला आएगा दिल्ली के लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे।

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं विधायक आतिशी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले दिल्ली की तीनों नगर निगमों ने ट्रेड और फैक्ट्री लाइसेंस में भारी बढ़ोतरी की थी। जिसमें जो ए और बी श्रेणी के लाइसेंस हैं उन्हें 500 से बढ़ाकर 8625 रुपए कर दिया था। वहीं सी और डी श्रेणी के लाइसेंस को 500 रुपए प्रति मीटर से बढ़ाकर 5750 रुपए प्रति मीटर कर दिया था। मुझे नहीं लगता है कि इतनी भारी बढ़ोतरी हमने पिछले कई सालों में कभी भी देखा है। उन्होंने कहा, आखिर वह लाइसेंस फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? वह लाइसेंस फीस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी तक उनको जो पैसा मिलता था वह तो भाजपा की एमसीडी ने अपने पार्षदों की जेब में भर दिया है। पार्षद अमीर होते गए लेकिन जो सुविधाएं एमसीडी को देनी होती हैं और हम सब जानते हैं कि एमसीडी ने दिल्ली को कूड़ादान बनाने का काम किया है।

हम सब जानते हैं कि सभी कॉलोनियों की सड़कों की मरम्मत कराना एमसीडी का काम है। लेकिन सभी सड़कें टूटी-फूटी हालत में हैं। हम सब जानते हैं की एमसीडी की सड़कों पर किस तरह से जलभराव होता है। क्यों होता है? यह इसीलिए होता है क्योंकि जो पैसा टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स में एमसीडी को मिलता था वह सब तो पार्षदों की जेब में जाता था। आप नेता ने कहा, यह जो लाइसेंस फीस बढ़ी उस पर दिल्ली के अनेकों व्यापारियों, फैक्ट्रियों के मालिक, दुकानदार हमारे पास आए और उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया। व्यापारियों की तरफ से आम आदमी पार्टी ने सिगनेचर कैंपेन की शुरुआत की और पूरी दिल्ली से 5 लाख लोगों ने इस सिगनेचर कैंपेन में हिस्सा लिया।

और आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जनता की जीत हुई है। दिल्ली के व्यापारियों, दुकानदारों, फैक्टरियों के मालिकों की जीत हुई है। उनके सिगनेचर कैंपेन के आधार पर और आम आदमी पार्टी द्वारा इस मुद्दे पर बुलंदी से आवाज़ उठाने के आधार पर कल नॉर्थ एमसीडी ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी में ट्रेड लाइसेंस फीस और फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही हम यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से नॉर्थ एमसीडी ने यह फैसला वापस ले लिया है उसी तरह से साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी भी इस फैसले को वापस लें। दूसरी बात जिन दुकानदारों और व्यापारियों ने बढ़ी हुई फीस जमा कर दिया था उनको वह पैसा वापस हो। यह हमारी मांग है। लेकिन हम दिल्ली की जनता और दिल्ली के व्यापारियों को बधाई भी देते हैं। उनके द्वारा आवाज उठाने की वजह से एमसीडी में बैठी भ्रष्ट भाजपा की सरकार को बढ़े टैक्स के फैसले को वापस लेना पड़ा।

साप्ताहिक बाज़ारों को प्राइवेट ठेकेदारों को सौंपने के भाजपा के फैसले पर आतिशी ने कहा, उसी तरह से एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव एमसीडी लेकर आई थी कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उनको प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया जाएगा। इसका भी आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। दिल्ली की गरीब जनता, दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों की ओर से %आप% सरकार ने इस प्रस्ताव को लेकर विरोध किया। क्योंकि अभी तक यह जो साप्ताहिक बाजार लगते आए हैं उनका संचालन लोकल आरडब्ल्यूएस और लोकल एसोसिएशंस करते आए हैं। और जो वहां पर ठेला लगाते हैं वह कोई बड़े-बड़े उद्योगपति नहीं होते हैं।

वह बिल्कुल ही छोटे दुकानदार, ठेले वाले होते हैं जो वहां पर अपनी दुकान लगाते हैं। अगर आप उनका रोजगार छीन लेंगे और इन बाजारों को प्राइवेट ठेकेदारों को दे देंगे तो यह दुकान लगाने वाले कहां जाएंगे। इस पर भी आम आदमी पार्टी के विरोध की वजह से भाजपा को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा है। उन्होंने कहा, अब दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों को प्राइवेट ठेकेदारों को नहीं दिया जाएगा। यह दोनों फैसले जो भाजपा को वापस लेने पड़े, यह इस बात का बिगुल बजा रहे हैं कि अब निगम में भाजपा का बहुत ही कम समय बचा है।

एल्पस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. व कॉरपोरेट कार्यालय और शेयर डिपार्ट.: 57/2, साईट IV, औद्यैद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद–201010, उत्तर प्रदेश
CIN: L51109UP1972PLC003544 वेबसाइट: Website: www.alpsindustries.com
ई–मेल: ajaygupta@alpsindustries.com
फोन: 0120–4161700, 4161716

वीसी/ओएवीएम और ई वोटिंग द्वारा 49वीं वार्षिक आमसभा के आयोजन संबंधी सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि एल्पस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड **(CIN:L51109UP1972PLC003544)** के सदस्यों की उन्नचासवीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) का आयोजन गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को अप. 3:00 बजे होगी जोकि वीडियो कॉन्फ्रेन्स (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुवल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा जिसमें किसी भी सदस्य की उपस्थिति भौतिक रुप से नहीं होगी, कथित सभा की सूचना में सामान्य व विशेष व्यापार के प्रबंधन को सेट किया जाएगा जो कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 57/2, साईट 4, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद–201010 (उ.प्र.) पर होगी। सोशल डिसटेन्सींग का पालन करते हुए कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण कंपनीज (प्रबंध व प्रशासन) नियम 2014 के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय व नियम 20(4)(v) द्वारा जारी सर्कुलर नं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 18/2020 दिनांक 21.4.2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15.6.2020 और अन्य सर्कुलर नं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के आधार पर निर्धारित हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी के सभी सदस्यों को विद्युतीय माध्यमों से कंपनी में उनके पंजीकृत ई–मेल पतों पर या केवल जमा प्रतिभागियों को भेजें जाएंगे और उपरोक्त सर्कुलरों द्वारा नियमों को अपनाते हुए किसी भी प्रकार की भौतिक प्रतियों को नहीं भेजा जाएंगा। इसलिए सदस्य अपने चालू ई मेल आईडीज को अपने डीपी/आर एंड टी मैर्सस अलनकीत असाईनमेंटस लि. को अवश्य दें जोकि 18.08.2021 को या उससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए, जिससे कंपनी निम्न दर्शाए तरीकों के अनुसार अधिक से अधिक कंपनी के सदस्यों को ई मेल भेज सके। कोविड–19 महामारी के कारण अन्य सेबी जिसके लिए देखें सर्कुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12.05.2020 और अन्य सर्कुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 15 जनवरी, 2021 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति को सूचीब(छूट भेजी गई हैं। कोरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और समान को देखने के लिए सर्कुलर नं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुसार एजीएम के आमंत्रण की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वैबसाईट www.alpsindustreis.com और स्टॉक एक्सचैंजस जैसे बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैबसाईट www.bseindia.com और www.nseindia.com से अपलोड्ड कर सकते हैं।

कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पढ़े कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के आधार पर, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती हैं कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और अंश हस्तांतरण पुस्तक 15 सितम्बर, 2021 बुधवार से 16 सितम्बर, 2021 गुरुवार (दोनों दिन शामिल होंगे) को बंद रहेंगी।

ई–वोटिंग को शामिल करते हुए वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम से जुड़ने के लिए आवश्यकताओं के लॉग या/एजीएम, वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 की सूचना प्राप्ति हेतु ईमेल पतों की अपटेडिंग के पंजीकरण के संबंध में :–

भौतिक रुप से भेजना: सदस्य कंपनी को निम्नलिखित व्याख्याओं के साथ ajaygupta@alpsindustries.com और investorsgrievance@alpsindustries.com और आर एंड टी एजेंट जैसे मैर्सस. अलनकीत असाईनमेंट लि. को rta@alankit.com पर भेजें:

एक हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन्ड प्रति जिसमें आपका नाम, पता, फोलीयो नं., अंशों की संख्या जिसे सदस्यों से प्राप्त की हो अंश प्रमाण पत्र नं., ईमेल पता और मोबाईल नं. के साथ स्वयं हस्ताक्षरित आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्कैनड प्रति।

डीमेट होल्डींग: सदस्यों को अंशों के डीमेट माध्यम में पंजीकरण/अपने संबंधित जमा प्रतिभागी के साथ अपडेट की प्रार्थना।

समान प्रक्रिया की पूर्ण व्याख्या सभा की सूचना में उपलब्ध होगी। कंपनी के सदस्य अंशों की होल्डींग भौतिक रुप से या डीमेटेरियलाईज्ड रुप में 23 सितम्बर, 2021 गुरुवार को अपने विद्युतीय मत देने की कट–ऑफ तिथि पर दे सकते हैं।

कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासन) संशोधित नियम, 2015 के नियम 20 के उप नियम 4 के क्लॉज (अ) के अंतर्गत आवश्यक संबंधित सूचनाएं निम्न अनुसार होगी:

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	विद्युतीय माध्यमों द्वारा वोटिंग व्यापार के उचित प्रबंध हेतु स्टेटमेंट।	वीसी/ओएवीएम चयन द्वारा एजीएम का आयोजन की सूचना के लिए निर्देशों के अनुसार विद्युतीय माध्यमों से वोटिंग के माध्यमों द्वारा ज्ञापन नं. 1 से 4 के लिए 49वीं एजीएम सूचना में साधारण व विशेष व्यापार।
2.	रिमोट ई–वोटिंग के प्रारंभ की तिथि व समय	रिमोट ई–वोटिंग का प्रारंभ 27 सितम्बर, 2021 सोमवार को प्रातः 10:00 बजे होगा।
3.	रिमोट ई–वोटिंग के समापन की तिथि व समय बुधवार को अप. 5:00 बजे होगा।	रिमोट ई–वोटिंग का समापन 29 सितम्बर, 2021
4.	कट–ऑफ तिथि	वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम का आयोजन विद्युतीय माध्यमों द्वारा मतदान और रिमोट ई–वोटिंग के लिए योग्यता की डिटरमाईनिंग हेतु कट–ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 21गुरुवार होगी।
5.	एजीएम की सूचना को भेजना	सूचना को 27.8.2021 शुक्रवार तक पूर्ण रुप से भेज दिया जाएगा।
6.	उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें अंशों की प्राप्ति करनी हैं और कंपनी का सदस्य बनना हैं उन्हें लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने के पश्चात यह करना होगा	जिन व्यक्तियों को अंशों की आवश्यकता हैं और वे कंपनी का सदस्य बनना चाहते हैं सूचना के भेजे जाने के बाद और कट–ऑफ तिथि जैसे 23 सितम्बर, 201 गुरुवार तक अपने अंशों को होल्ड करना होगा और उन्हें वैबसाईट पर उपलब्ध सूचना में दर्शाए निर्देशों का पालन करना होगा, जिनके पैन नं. होल्ड हो और जिन्होंने किसी अन्य कारण से पासवर्ड प्राप्त कर लिया हो **helpdesk.evoting@cdslindia.com** या **ajaygupta@alpsindustries.com** या **rta@alankit.com** पर अपनी प्रार्थना भेजें। यद्यपि, वह व्यक्ति सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हो तो ई–वोटिंग के लिए वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकता हैं।
7.	कथित तिथि व समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी	29 सितम्बर, 2021 बुधवार शाम 5:00 बजे के बाद सीएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के मॉड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा और किसी को भी इस समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
8.	वीसी/ओएवीएम द्वारा सभा पर मौजूद सदस्यों द्वारा मतदान के लिए प्रावधानित कंपनी का मैनर	एजीएम की सूचना में एनैक्चर 1 में दर्शाए रुप में वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम पर मतदान का मैनर
9.	रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान के अधिकार के पश्चात सदस्य आमसभा में भाग ले सकता हैं परंतु उसे पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी।	सदस्य जिन्होंनंने एजीएम से पूर्वव रिमोटेट ई–वोटिंग द्वारा अपन मतदान का उपयोगेग किया हो वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें अपना मतदान दोबारा नहीं डालने दिया जाएगा।
10.	आमसभा में वोटिंग के साथ साथ रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा होगी जो उस व्यक्ति को दी जाएंगी जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या केवेवल कट–ऑफ तिथि पर जमा–कर्त्ताओं द्वारा अनुरक्षण किए लाभार्थियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा।	वार्षिक आमसभा में मतदान के साथ साथ रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी जो उन सदस्यों के लिए है जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर या कट–ऑफ तिथि जैसे 23 सितम्बर, 2021 गुरुवार को जमाकर्त्ताओं द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर या सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्डड हो।
11.	कंपनी का वैबसाईट पता, यदि कोई हो, और एजेंसी जहां बैठक की सूचना प्रदर्शित की गई हैं	www.alpsindustries.com, www.cdslindia.com
12.	विद्युतीय माध्यम द्वारा मतदान की सुविधा के संबंधित साथ अधिकारी का नाम, पद, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर जहां से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं	श्री अजय गुप्ता, कंपनी सचिव व कॉम्पलीएन्स ऑफीसर पताः पंजी. व कॉर. कार्यालय – 57/2, साईट 4, औद्यैद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी.–201010 ई–मेलः ajaygupta@alpsindustries.com फोनः 0120–4161716

सोशल डिसटेन्सींग का पालन करते हुए कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण कंपनीज (प्रबंध व प्रशासन) नियम 2014 के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय व नियम 20(4)(अ) द्वारा जारी सर्कुलर नं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 18/2020 दिनांक 21.4.2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15.6.2020 और अन्य सर्कुलुर नं. 02/2021 दिनांकंक 13 जनवरी, 2021 औरैर कंपपनीज (प्रबंध व प्रशासन) संशोधित नियम 2015 के नियम 20 (4) (V) के साथ पढ़ा जाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (लिस्टींग ऑबलीगेशन एंड डिशक्लॉजर रिक्वायरमेंटस) ज्ञापन, 2015 के रेग्यूलेशन 44 के आधार पर, कंपनी द्वारा 49वें एजीएम की सूचना में रेग्यूलेशन पर अपने मतदान को सदस्य वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित वार्षिक आमसभा के समय पर रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग का प्रावधान किया हैं। कंपनी ने इसके लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लि. के साथ अनुबंध किया हैं जिससे मैसेर्स. अलनकीत असाईनमेंट लिं. के साथ वीसी/ओवीएएम द्वारा एजीएम के लिए और एजीएम से पूर्व ई–वोटिंग या एजीएम पर विद्युतीय माध्यमों द्वारा उनके मतदान के अधिकारों का सदस्यों को सुविधा दी गई हैं। इस एजीएम के लिए सदस्यों के लिए मतदान करने औरैर प्रॉक्सी को देखने के लिए किसी भी फैकल्टी को उपलब्ध नहीं किया गया हैं। यद्यपि, कोरपोरेट निकाय द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित और ई–वोटिंग द्वारा अपने मतदान देने और उसमें प्रतिभागिता के लिए नियुक्त किया हैं।

कंपनी के निदेशकों के बोडे ने वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में रिमोटेट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग में स्पष्ट और पारदर्शिता के लिए संवीक्षक के रुप में कंपनी सचिव राजीव खोसला, कार्यरत कंपनी सचिव (पीसीएस नं. 3927) की नियुक्ति की गई हैं।

एजीएम की सूचना में एनैक्चर। और।। में दर्शाए गए रिमोट ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में मतदान होगा। सदस्य कंपनी में भौतिक रुप से एजीएम में मतदान के लिए निर्देशों का पालन करते हुए मतदान कर सकते हैं। यदि आपको एजीएम और सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग में प्रतिभागिता से संबंधित कोई